न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वादीगणः—

1. रामेश्वरलाल पुत्र जोराराम जाति बावरी उम्र 62 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र जोराराम जाति बावरी उम्र 55 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
3. धन्नाराम पुत्र जोराराम जाति बावरी उम्र 49 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. मोहनराम पुत्र कानाराम जाति बावरी उम्र 72 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
2. केलादेवी पत्नि जवाराराम जाति बावरी उम्र 70 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
3. प्रेमदेवी पुत्री जवाराराम पत्नि शंकरलाल जाति बावरी उम्र 60 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला नागौर।
4. श्यामलाल पुत्र जवाराराम जाति बावरी उम्र 50 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
5. नाथूराम पुत्र लिखमाराम जाति बावरी उम्र 45 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
6. ग्यारसीदेवी पुत्री लिखमाराम पत्नि भींवाराम जाति बावरी उम्र 50 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी चारणवास तहसील कुचामन सिटी।
7. राजूदेवी पुत्री लिखमाराम पत्नि बाबूलाल जाति बावरी उम्र 30 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी चारणवास कुचामन सिटी।
8. धन्नीदेवी पत्नि बालूराम जाति बावरी उम्र 65 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
9. शायरराम पुत्र बालूराम जाति बावरी उम्र 36 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
10. दुर्गा पुत्री बालूराम पत्नि श्योपालराम जाति बावरी उम्र 34 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी डाबड़ा तहसील मौलासर।
11. बिमला पुत्री बालूराम पत्नि नन्दाराम जाति बावरी उम्र 62 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी खारड़िया तहसील नावां।
12. लिछमादेवी पत्नि गोपाल जाति बावरी उम्र 50 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
13. तेजराज पुत्र गोपाल जाति बावरी उम्र 27 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
14. ताराचन्द पुत्र गोपाल जाति बावरी उम्र 28 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
15. सांवरमल पुत्र गोपाल जाति बावरी उम्र 26 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
16. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां तहसील नावां।

दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू—विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :— श्री दीपेन्द्र सिंह चौधरी अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बर :— 114/2020 निर्णय दिनांकः— 06.10.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 एक ही खानदान के सदस्य है और स्वर्गीय [illegible]रूराम जी के वंशज वारिसान है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र में पेश किया। मौजा ग्राम नालोट

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

पटवार हल्का नालोट तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 2.37 हैक्टर कुल रकबा 5.86 हैक्टर भूमि स्थित है। स्वर्गीय भैरूराम जी के स्वर्गवासोपरान्त उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि में उनके जायज वारिसान कानाराम, जोराराम बहिस्सा बराबर 1/2–1/2 से काबिज हुए तथा इन्होंने अपने जीवन काल में ही सुविधानुसार काश्त करने के लिए उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि का भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा सींव माठ डोल लगाकर सीमा कायम कर अपने हक हिस्से अनुसार काश्त करते रहे है। तत्पश्चात कानाराम जी के फौत होने पर उनके हक हिस्से की आराजी भूमि में उनके जायज वारिसान जवाराराम, मोहनराम, लिखमाराम, बालूराम काबिज हुए एवं जवाराराम जी के फौत होने पर उनके हक हिस्से की आराजी भूमि में उनके जायज वारिसान केलादेवी, प्रेमदेवी, श्यामलाल, रामनिवास, गोपाल काबिज हुए तथा लिखमाराम जी के फौत होने पर उनके हक हिस्से की आराजी भूमि में उनके जायज वारिसान नाथूराम, ग्यारसीदेवी, राजूदेवी व पत्नि धन्नीदेवी काबिज हुए तथा बालूराम जी के फौत होने पर उनके हक हिस्से की आराजी भूमि में उनके जायज वारिसान धन्नीदेवी, शायरराम, दुर्गा, बिमला काबिज हुए है तथा जोराराम जी के फौत होने पर उनके हक हिस्से की आराजी भूमि में उनके जायज वारिसान रामेश्वरलाल, जगदीश प्रसाद, धन्नाराम काबिज हुए है। वादीगण व प्रतिवादीगण इसी माफिक अपने अपने हक हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। माफिक भौतिक बंटवारे के अनुसार ही कानाराम व जोराराम के वारिसान अर्थात् वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर भौतिक बंटवारा कर अपी सींव माठ डोल कायम कर रखी है। उक्त भौतिक बंटवारा पूर्व पश्चिम लम्बाई में मुख्य सडक पर सभी की आराजी भूमि का मुख्य भाग रखते हुए किया गया था जो

खसरा नम्बर 441 रकबा 0.03 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्से में एवं खसरा नम्बर 442 रकबा 2.40 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्से में एवं खसरा नम्बर 443 रकबा 0.02 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्से में एवं खसरा नम्बर 444 रकबा 1.01 हैक्टर में से दक्षिणी तरफ का हिस्सा 0.5301 हैक्टर वादी संख्या 2 जगदीश प्रसाद के हक हिस्से में व उत्तरी तरफ का हिस्सा 0.4799 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्से में एवं खसरा नम्बर 459 रकबा 0.03 हैक्टर सम्पूर्ण वादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त हक हिस्से में एवं खसरा नम्बर 460 रकबा 2.37 हैक्टर में से उत्तरी तरफ का हिस्सा 0.9667 हैक्टर वादी संख्या 1 रामेश्वरलाल के हक हिस्से में तथा वादी संख्या 1 से दक्षिणी तरफ का हिस्सा अर्थात् मध्य में 0.4366 हैक्टर वादी संख्या 2 जगदीश प्रसाद के हक हिस्से में व वादी संख्या 2 से दक्षिणी तरफ का हिस्सा 0.9667 हैक्टर वादी संख्या 3 धन्नाराम के हक हिस्से में। उपरोक्त भू–विभाजन का नजरी नक्शा बनाकर अलग से पेश किया जा रहा जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। मौजा ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 459

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 2.37 हैक्टर कुल रकबा 5.86 हैक्टर भूमि में वादीगण 1/6–1/6 हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार कृषक है। उक्त भूमि को वाद पत्र में वर्णित अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन करवाकर सेपरेट हॉल्डिंग कायम की जावें। इस आशय की भू–विभाजन एंव खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने तथा वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में प्रवितादीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे, न ही वादगीण के हक हिस्से की सीव माठ डोल तारबंदी को नष्ट भ्रष्ट ही करे, न ही किसी प्रकार से अनाधिकृत रूप से कब्जा ही करे, न ही किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी ही करे तथा वादीगण के हक हिस्से में आये कुआं बोरिंग से सिंचाई ही करे, ऐसा न तो प्रतिवादीगण स्वयं ही करे, न ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति या अपने एजेन्टों से ऐसा करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7 ता 10, 12 ता 16 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 6, 11 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी रामेश्वरलाल, पी. डब्ल्यू.2 वादी जगदीश प्रसाद, पी.डब्ल्यू.3 वादी धन्नाराम, पी.डब्ल्यू.4 गवाह मोटाराम पुत्र हनुमानाराम जाति धानका निवासी नालोट तहसील कुचामन सिटी, पी.डब्ल्यू.5 गवाह रामधन पुत्र मांगुराम जाति जाट निवासी नगवाडा तहसील कुचामन सिटी के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये एवं नकल चालू जमाबंदी संवत 2076 से 2079 प्रदर्श 1 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार कुचामन सिटी ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादी की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील नावां हाल कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 460 रकवा 2.37 हैक्टर कुल रकबा 5.86 हैक्टर भूमि [illegible] बंटवारा प्रस्ताव में अंकित वादीगण की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील नावां हाल कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 2.37 हैक्टर कुल रकबा 5.86 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी संख्या 1 रामेश्वरलाल, वादी संख्या 2 जगदीश प्रसाद व वादी संख्या 3 धन्नाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु उपतहसीलदार चितावा को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगणः—

1. रामेश्वरलाल पुत्र जोराराम जाति बावरी उम्र 62 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र जोराराम जाति बावरी उम्र 55 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
3. धन्नाराम पुत्र जोराराम जाति बावरी उम्र 49 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. मोहनराम पुत्र कानाराम जाति बावरी उम्र 72 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
2. केलादेवी पत्नि जवाराराम जाति बावरी उम्र 70 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
3. प्रेमदेवी पुत्री जवाराराम पत्नि शंकरलाल जाति बावरी उम्र 60 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला नागौर।
4. श्यामलाल पुत्र जवाराराम जाति बावरी उम्र 50 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
5. नाथूराम पुत्र लिखमाराम जाति बावरी उम्र 45 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
6. ग्यारसीदेवी पुत्री लिखमाराम पत्नि भींवाराम जाति बावरी उम्र 50 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी चारणवास तहसील कुचामन सिटी।
7. राजूदेवी पुत्री लिखमाराम पत्नि बाबूलाल जाति बावरी उम्र 30 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी चारणवास कुचामन सिटी।
8. धन्नीदेवी पत्नि बालूराम जाति बावरी उम्र 65 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
9. शायरराम पुत्र बालूराम जाति बावरी उम्र 36 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
10. दुर्गा पुत्री बालूराम पत्नि श्योपालराम जाति बावरी उम्र 34 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी डाबड़ा तहसील मौलासर।
11. बिमला पुत्री बालूराम पत्नि नन्दाराम जाति बावरी उम्र 62 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां हाल निवासी खारड़िया तहसील नावां।
12. लिछमादेवी पत्नि गोपाल जाति बावरी उम्र 50 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
13. तेजराज पुत्र गोपाल जाति बावरी उम्र 27 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
14. ताराचन्द पुत्र गोपाल जाति बावरी उम्र 28 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
15. सांवरमल पुत्र गोपाल जाति बावरी उम्र 26 वर्ष निवासी नालोट तहसील नावां।
16. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 114/2020 **निर्णय दिनांक :—** 06.10.2023

इनफिसाल कतई रूबरू... बहाजरी श्री दीपेन्द्र सिंह चौधरी अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट तहसील नावां व कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 442 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नम्बर 443 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 2.37 हैक्टर कुल रकबा 5.86 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी संख्या 1 रामेश्वरलाल, वादी संख्या 2 जगदीश प्रसाद व वादी संख्या 3 धन्नाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु उपतहसीलदार चितावा को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उपतहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested